



2026:AHC:168868

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27151 / 2026

गोलू कुमार @ देव खटिक

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : भास्कर भद्र, राजवीर चौरसिया

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 108/2026 अंतर्गत धारा 126(2), 351(3), 309(4), 317(2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - श्रीनगर, जिला - महोबा, संबंधित न्यायालय में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे किसी परोक्ष उद्देश्य से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। सूचनादाता के क्लर्क के साथ हुई लूट की घटना के संबंध में तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध वर्तमान एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना के दौरान आवेदक का नाम सामने आया। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के कब्जे से झूठी बरामदगी दिखाई गई है। आवेदक के पास से न तो कोई

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पैसा बरामद हुआ है और न ही उसने कोई लूट की है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक का आपराधिक इतिहास वर्तमान जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है। आवेदक 24.6.2026 से जेल/कारागार में है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई संभावना नहीं है।

विद्वान ए.जी.ए. द्वारा जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया गया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख, साक्ष्यों का अध्ययन करने, और साथ ही आरोपों की प्रकृति और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **गोलू कुमार @ देव खटिक** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

आगे यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अगस्त 12, 2026

बृजेश

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।